54

संख्या– 881 /XVIII(II)/2016–03(23)/2016

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढवाल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 01 जून, 2016

विषयः– जनपद पौड़ी गढवाल के देवप्रयाग में श्री रघुनाथ कीर्ति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के परिसर की स्थापना हेतु कुल 9.228 है0 भूमि उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पट्टे पर निःशुल्क आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–2474/08–एल0ए0सी0/2015–16 दि0–16.05.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद एवं तहसील पौड़ी गढवाल के परगना बारहस्यूं की पट्टी कण्डवालस्यूं के ग्राम धुनारीवाहलगा खेड़ा के खाता खतौनी सं0–15 के विभिन्न खसराओं की 3.443 है0 जो रघुनाथ कीर्ति महाविद्यालय, देवप्रयाग के नाम दर्ज अभिलेख है, में से 3.173 है0 तथा खाता सं0–10 की श्रेणी–10(4) भीटा के खसरा सं0–107/0.781 है0, 113/0.138 है0, 118/0.124 है0, खाता सं0–6 की श्रेणी–9(3)ख झाड़ी के खसरा सं0–123/0.401 है0 तथा खाता सं0–7 की श्रेणी–9(3)ङ के खसरा सं0–258/4.611 है0 इस प्रकार कुल 9.228 है0 भूमि को शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–राजस्व–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1 (60)/93–280–रा0–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों को शिथिल करते हुए उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भूमि के मूल्य के बराबर नजराने को माफ करते हुए नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 100 गुने के बराबर की धनराशि वसूल करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन पट्टे पर निःशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है। इस संबंध में आवासीय प्रयोजन के उपयोग के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
5. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।
6. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
7. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

......2......

8. इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/ 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0–436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0–जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगें।

10. भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के अनुपालन के सन्दर्भ में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0– ३४१ /XVIII(II)/2016–03(23)/2016 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अनुसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
6. निदेशक, संस्कृत निदेशालय, हरिद्वार।
7. रजिस्ट्रार, संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
8. सचिव, संस्कृत एकेडमी, हरिद्वार।
9. प्रबंधक, श्री रघुनाथ कीर्ति महाविद्यालय, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।